

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-07/प्र०-01(पें०)-73/2025-

पटना/दिनांक-

प्रेषक,

चन्दन कुमार मिश्र,
उप सचिव-2 (प्रबंधन)।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय:- स्व० संजीवन चौधरी, सेवानिवृत्त (अधीक्षण अभियंता), सचिव (प्रावैधिक) मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के अंतर राशि के भुगतान की स्वीकृति श्रीमती कुंडल चौधरी के पक्ष में प्रदान किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका कार्यालय पत्रांक-GN: 260920250802640

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि सरकार ने स्व० संजीवन चौधरी, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता को आदेय दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के अंतर राशि के भुगतान की स्वीकृति स्व० चौधरी की पत्नी श्रीमती कुंडल चौधरी के पक्ष में प्रदान करने का निर्णय लिया है। स्व० चौधरी के मृत्यु की तिथि दिनांक 01.02.2022 है। वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-को०प्र०विधि-16/2018-10 दिनांक-02.01.2019 के आलोक में इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर होंगे तथा राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना के माध्यम से की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि स्व० संजीवन चौधरी, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता की पत्नी श्रीमती कुंडल चौधरी के पक्ष में भुगतान हेतु वांछित प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(चन्दन कुमार मिश्र)

उप सचिव-2 (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-07/प्र०-01(पें०)-73/2025-

525

पटना/दिनांक-

03/02/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/ श्रीमती कुंडल चौधरी, पत्नी स्व० संजीवन चौधरी, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, पता-संजय गाँधी नगर, प्लॉट नं०-ए/103, रोड संख्या-09, हनुमान नगर, पटना, बिहार, पिन-800026, मो०-9798617303/9835627064 को सूचनार्थ प्रेषित।

2. कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Chandana
03/02/26

उप सचिव-2 (प्रबंधन)।